पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 12/2022

1. कृष्णकुमार पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

2. प्रभू पुत्र खंगाराम जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।
3. विनोद कुमार पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।
4. रामनिवास पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रणवीर बैनीवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 508/87 के खसरा सं0 426 की 17.642है0, खसरा सं0 499 की 2.3020है0, खसरा सं0 532 की 0.126है0 कुल 20.0700है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रभू के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी स0 1 प्रभू अकेले के बजाए वादी कृष्णकुमार व प्रतिवादी स0 1 प्रभू, प्रतिवादी सं0 2 विनोद कुमार व प्रतिवादी सं0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना सहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 12/2022

1. कृष्णकुमार पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 प्रभू पुत्र खंगाराम जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।

2 विनोद कुमार पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।

3 रामनिवास पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी अनूपशहर त0 भादरा।

4 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0का0अ0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : वादी
वकील श्री सतवीर बैनीवाल: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 2.2.2022

सक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 508/87 के खसरा सं0 426 की 17.642है0, खसरा सं0 499 की 2.3020है0, खसरा सं0 532 की 0.126है0 कुल 20.0700है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रभू के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा खंगाराम की खातेदारी हुआ करती थी। खंगाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 प्रभू ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाये मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी 4 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे पीडब्ल्यु 1 कृष्णकुमार पुत्र प्रभू के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी अनूपशहर के खाता सं0 508/87 सवत

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा

Scanned with CamScanner

2075–78 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही अनूपशहर खाता सं0 36 संवत 2025–28 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी अनूपशहर के खाता सं0 508/87 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही अनूपशहर खाता सं0 36 संवत 2025–28 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार प्रभू के तीन पुत्र कृष्ण, विनोद व रामनिवास तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 508/87 के खसरा सं0 426 की 17.642है0, खसरा सं0 499 की 2.3020है0 खसरा सं0 532 की 0.126है0 कुल 20.0700है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 प्रभू के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभू अकेले के बजाए वादी कृष्णकुमार व प्रतिवादी सं0 1 प्रभू, प्रतिवादी सं0 2 विनोद कुमार व प्रतिवादी सं0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 2.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] चौधरी)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner